-प्रेस नोट-

दिनांक:18.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त 01 अवैध तमन्चा, 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 11.05.2026 को वादी सुल्तान पुत्र जमशेद निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर की तहरीर के आधार पर थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 117/26 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/333/115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध तमन्चे अन्य हथियारो से घर मे घुसकर मारपीट, गाली गलौच एव धमकी के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बडगाँव श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.06.2026 को थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए वांछित अभियुक्त **अब्दुल पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर को** गोगा म्हाडी यात्री बस शेड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त 01 अवैध तमन्चा, 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

अब्दुल पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमन्चा 12 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस12 बोर
- 01 खोखा कारतूस12 बोर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

1- उ0नि0 श्री लाखन सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
2- उ0नि0 श्री सतीशचन्द थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
3- उ0नि0 श्री मुन्नालाल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
4- कां0 500 अरूण कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
5- कां0 1485 ओमकार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

दिनांक: 18.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ह्रदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.06.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण 1.सादिक पुत्र आबिद हसन निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर सम्बंधित वाद संख्या 7740/18 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम चालानी थाना आबकारी जनपद सहारनपुर 2.शहजाद पुत्र आरिफ निवासी ग्राम मेघछप्पर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर सम्बंधित वाद संख्या 2383/23 मु0अ0स0 287/23 धारा 147/323/328/376डी/504/506 भा0द0वि0 को अभियुक्तगण के मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगणो के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. सादिक पुत्र आबिद हसन निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. शहजाद पुत्र आरिफ निवासी ग्राम मेघछप्पर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री श्याम सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
3. है0का0 973 मोहित कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
4. है0का0 334 संजीव कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
5. है0का0 736 दीपक नागर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 18.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा अपहर्ता/पीडिता को किया सकुशल बरामद व अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरणः

अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2026 को वादी निवासी ग्राम नल्हेडा बेद बेगमपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर की एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त तहकीम पुत्र तनवीर निवासी रायपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा वादिया की पुत्री को बहला फुसलाकर कर अपने साथ ले जाने के सम्बन्ध मे 148/26 धारा 137 (2) बीएनएस एक्ट पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही का विवरणः -

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना में अपहर्ता की बरामदगी व इसमें लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.05.2026 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडिता/अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष पीडिता के ब्यानो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 87 बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा दिनांक 18.06.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त तहकीम पुत्र तनवीर निवासी रायपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड को हरौडा कट नेशनल हाईवे औवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

तहकीम पुत्र तनवीर निवासी रायपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. म0उ0नि0 रश्मी कुमारी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. रि0का0 839 संजू कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. रि0का0 863 सोनू कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

प्रेस नोट

दिनांकः 18/06/2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इंद्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 17.06.2026 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त **तसव्वर पुत्र अनवर निवासी ग्राम खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को संबधित वाद सं0 3686/19 मु0अ0सं0 69/15 धारा 392/411/420 भादवि चालानी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ जिला सहारनपुर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

तसव्वर पुत्र अनवर निवासी ग्राम खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री दीपक राठी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 259 दीपक सागर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास मे वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वादी श्री फरमान पुत्र श्री शब्बीर अहमद निवासी मौहल्ला कुरैशियान ग्राम लखनौता थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 274/26 धारा 190/191(2)/191(3)/126(2) /351(3)/352/109(1) बीएनएस बनाम अभियुक्तगण 1. नदीम पुत्र नानू 2. सद्दाम पुत्र नानू 3. सब्बू पुत्र मुस्तफा 4. फाजिल पुत्र मुस्तफा 5. युनुस पुत्र फजल निवासीगण मौहल्ला कुरैशियान, लखनौती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के भाई के साथ मारपीट व गाली गलौच करने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इंद्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 18.06.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. सद्दाम पुत्र नानू निवासी मौहल्ला कुरैशियान ग्राम लखनौती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 2 फाजिल पुत्र मुस्तफा निवासी मौहल्ला कुरैशियान ग्राम लखनौती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को टैम्पू स्टैण्ड ग्राम लखनौती से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सद्दाम पुत्र नानू निवासी मौहल्ला कुरैशियान ग्राम लखनौती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. फाजिल पुत्र मुस्तफा निवासी मौहल्ला कुरैशियान ग्राम लखनौती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सद्दाम का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 323/11 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 292/21 धारा 147/148/307/504/506 भादवि व 7 आपराधिक कानून अधिनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 260/22 धारा 323/354(ख)/504/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

अभियुक्त फाजिल का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 296/11 धारा 147/148/201/323/325/504/506 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री बिलेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1013 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. का0 2022 अजयराज थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 18/06/2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा वाहन चोरी के अभियोगो का अनावरण करते हुए प्रकाश मे आये शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कव्जे से चोरी की गयी मोटरसाईकिल की नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 21.03.206 मु0अ0स0 202/2026 धारा 303(2) बीएनएस व दिनाक 23.05.2026 को मु0अ0स0 359/2026 धारा 303(2) बीएनएस व दिनाक 29.05.2026 को मु0अ0स0 380/2026 धारा 303(2) बीएनएस मे मोटर साईकिल चोरी हो जाने के सम्वन्ध में थाना देवबंद पर पजीकृत किये गये।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वाहन चोरी की घटना के अनावरण हेतु अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में थाना देववन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान पर उपरोक्त मुकदमों के प्रकाश मे आय़े अभियुक्त शैंकी उर्फ समर पुत्र जल सिंह निवासी ग्राम रणखण्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को नूरपुर कट से गिरफ्तार किया गया व मु0अं0स0-380/26 धारा 303(2) बीएनएस में चोरी की मोटरसाईकिल रजि0 नं0 HR02Z3937 की नम्बर प्लेट बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

शैंकी उर्फ समर पुत्र जल सिंह निवासी ग्राम रणखण्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- मोटरसाईकिल रजि0नं0- HR02Z3937 की नम्बर प्लेट

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 119/23 धारा 379/411 भादवि थाना देवबन्द
2. मु0अ0स0 202/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवबन्द
3. मु0अ0स0 359/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवबन्द

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री ललित कुमार चौकी प्रभारी घलौली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. है0का0 44 शैलेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. का0 475 सुरेशचन्द्र थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशनसवेरा"

दिनांक- 18.06.2026

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 320 ग्राम अवैध चरस बरामद।

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा"के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक ह्रदय नारायण सिह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18.06.2026 को चैकिंग के दौरान शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त समीर पुत्र शमीम निवासी नई बस्ती हलालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को निर्माणाधीन बाईपास नई वस्ती हलालपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 320 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 287/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त समीर उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन् आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

समीर पुत्र शमीम निवासी नई बस्ती हलालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- कुल 320 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वालीपुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 275 सचिन कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 515 राहुल कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
4. का0 2201 विपन कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

दिनांक- 18.06.2026

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

अवैध नशा तस्करी पर सहारनपुर पुलिस टीम का करारा प्रहार —थाना नकुड पुलिस द्वारा नशा तस्कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 26.50 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त उस्मान पुत्र राशिद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर को साई धाम कालोनी कस्बा नकुड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 26.5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 334/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पजीकृत किया गय। अभियुक्त उस्मान उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन् आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

उस्मान पुत्र राशिद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- *26.50 ग्राम अवैध स्मैक*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. *प्र0नि0 श्री देवेश शर्मा कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,*
2. *उ0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर*
3. *का0 1059 अनुज राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर*
4. *का0 1997 विनीत कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर*
5. *रि0का0 1676 सागर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर*

दिनांक 18.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा अवैध चाकू के साथ शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध अस्त्र/शस्त्र रखने वाले व तस्करी की रोकथाम व कारोबार में संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 17.06.2026 को गस्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त साबिर उर्फ लाला पुत्र अनवर निवासी ग्राम गन्देवडा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर हाल पता गली न0- 04 नई बस्ती पुराना घास कांटा थाना कोतवाली नगर जपनद सहारनपुर को बाबालालदास रोड पर क्रबिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त साबिर के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 308/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त साबिर उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

साबिर उर्फ लाला पुत्र अनवर निवासी ग्राम गन्देवडा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर हाल पता गली न0- 04 नई बस्ती पुराना घास कांटा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध चाकू

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 177/16 धारा 380/411 भा0दा0वि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2.मु0अ0सं0 252/18 धारा 379/411 भा0दा0वि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3.मु0अ0सं0 265/18 धारा 380/411 भा0दा0वि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4.मु0अ0सं0 270/18 धारा 380/411/457 भा0दा0वि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
5.मु0अ0सं0 295/18 धारा 307 भा0दा0वि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
6.मु0अ0सं0 297/18 धारा 25आयुध अधि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
7.मु0अ0सं0 33/19 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि0भा0दा0वि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
8.मु0अ0स0- 308/26 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 1065 अनुजपाल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1208 सौरभ कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांक-18-06-2026

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-05 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को गैंगस्टर के मामले में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 31.10.2011 को वादी निरी0 राजेन्द्र सिंह थाना देबबंद जनपद सहारनुपर द्वारा अभियुक्त 1. कुर्बान पुत्र इन्तजार निवासी हिंड थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा अपने साथियों के साथ गैंग बनाकर फिरौती जैसे अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करना तथा जनता में भय व आतंक व्याप्त करने की सूचना पर मु0अ0स0-694/2011 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना देबबंद पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-38/2012 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-05 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 18.06.2026 को अभियुक्त 1- कुर्बान पुत्र इन्तजार निवासी हिंड थाना थानाभवन जनपद शामली को मु0अ0स0-694/2011 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर 02 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सिंह चौहान**
- **विवेचक-उप निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार**
- **पैरोकार- का0 2368 उत्तम सिंह थाना देबबंद सहारनपुर।**